न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। हस्तक्षेपक आवेदक हरिनरायण ठाकुर की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.06.2024 अंदर आदेश 01 नियम 10(2) वो धारा 151 व्य0प्र0सं0 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 18.12.2025 को आदेश हेतु नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–02 राज कुमार ठाकुर द्वारा निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–1508 एवं प्रतिवादी सं0–01 चन्द्रशेखर प्रसाद द्वारा निबंधित बैयनामा दस्तावेज सं0–1509 दोनों दिनांक 19.02.2024 द्वारा वाद पत्र के मद सं0–02 में स्थित वादग्रस्त भूमि के अंश रकबा के संदर्भ में हस्तक्षेपक आवेदक से तय जरसम्मन प्राप्त कर तथा अवर निबंधन कार्यालय लौरिया में अपने कातिब से बयनामा दस्तावेज तैयार कराकर तथा अवर निबंधक समक्ष उपस्थित होकर तथा एकरार कर हस्तक्षेपक आवेदक के नाम निबंधित बयनामा दस्तावेज तहरीर वो तामिल कर दिया गया तथा बिक्री की गयी एराजी का स्वामित्व एवं दखल कब्जा हस्तक्षेपक आवेदक को सौंप दिया गया है। प्रतिवादी चन्द्रशेखर प्रसाद द्वारा मौजा परसा स्थित वादग्रस्त भूमि खाता 49 खेसरा 447 रकबा 7 धूर वो खाता 49 खेसरा 451 रकबा 2 कट्ठा 10 धूर तथा प्रतिवादी राजकुमार ठाकुर द्वारा मौजा परसा स्थित वादग्रस्त	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.12.2025	भूमि खाता 49, खेसरा 446 रकबा 1 कट्ठा 19 धूर वो खाता 37, खेसरा 443, रकबा 2 कट्ठा 13 धूर वो खाता 49, खेसरा 452, रकबा 5 धुर वो खाता 49, खेसरा 451, रकबा 2 कट्ठा 15 धूर भूमि हस्तक्षेपक आवेदक को बिक्री किया गया है। हस्तक्षेपक आवेदक जब अपनी क्रय की गई भूमि का जोत आबाद कर रहे थे तो वादी द्वारा विरोध किया गया तथा बताया गया कि इस भूमि पर स्वत्व वाद सं0–45/2017 अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज के न्यायालय में चल रहा है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 द्वारा लंबित स्वत्व की कोई जानकारी हस्तक्षेपक आवेदक को नहीं दी गयी थी तथा उनके नाम का दस्तावेज तथा दखल–कब्जा देखकर हस्तक्षेपक आवेदक द्वारा उनसे भूमि क्रय कर लिया गया। हस्तक्षेपक आवेदक इस वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा वह इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। आवेदक को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने पर, न्याय निर्णय से वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हस्तक्षेपक आवेदक हरिनरायण ठाकुर को प्रतिवादी पक्षकार बनाने की कृपा की जाए। वादीगण द्वारा हस्तक्षेपक के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 02.05.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वर्तमान आवेदन कानूनी दृष्टिकोण से वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। हस्तक्षेपक आवेदक के द्वारा	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.12.2025	काल्पनिक तथ्यों के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के कंडिका 02 में दिया गया तथ्य बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि हस्तक्षेपक आवेदक को वर्तमान वाद चलने के दौरान दिनांक 19.02.2024 को नहीं तो वादग्रस्त भूमि का अंश भाग खरीदने का कानूनी अधिकार था और ना ही मुदालहम को वाद चलने के दौरान वादग्रस्त भूमि का अंश भाग बेचने का अधिकार था। इसके संबंध में टी0पी0 एक्ट की धारा 52 प्रावधानिक करता है कि वाद चलने के दौरान कोई अंतरण नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो वह लिस्पेडेन्स के सिद्धान्त से प्रभावित होगा। हस्तक्षेपक के द्वारा विधि विरूद्ध अंतरण करवाया गया है और उनका हित वाद के निर्णय के अनुसार प्रभावित होगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि लिस्पेन्डेंस के सिद्धान्त के आधार पर हस्तक्षेपक आवेदक के आवेदन को बिना विचार किये खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है हस्तक्षेपक हरिनरायण ठाकुर की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.06.2024 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि हस्तक्षेपक आवेदक हरिनरायण ठाकुर को प्रतिवादी पक्षकार बनाने की कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद स संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। हस्तक्षेपक	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.12.2025	हरिनरायण ठाकुर वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में हस्तक्षेपक का आवेदन दिनांक 27.06.2024 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में हहस्तक्षेपक हरिनरायण ठाकुर को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 07.02.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	